

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

सी- विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-2.

दूरभाष: 23392001-4 (इन्टर्कॉम: 3718)वेबसाइट: [www.artandculture.delhigovt.nic.in](http://www.artandculture.delhigovt.nic.in)

सं.फा. 07(02)/2015-16-क0सं0भा/1887

दिनांक: 17/01/17

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानीय निकाय,  
स्वायत्त संस्थाएँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषय: भाषाजात अल्पसंख्यकों की समस्याओं हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग से जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.07.2004 को देखने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिल्ली के भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं के लिये नोडल अधिकारी मनोनीत करने का अनुरोध किया गया था। जैसाकि आपको विदित है कि दिनांक 26.01.2004 से लागू दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 द्वारा उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दिल्ली की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके अनुसार समस्त विभागों/कार्यालयों द्वारा सभी प्रकार के पत्र, शिकायत इत्यादि उर्दू एवं पंजाबी भाषा में भी स्वीकार किया जाना और इसका उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभागों/कार्यालयों में उर्दू व पंजाबी भाषा-भाषियों की समस्याओं से संबंधित नोडल अधिकारी मनोनीत कर उसका नाम, पता, दूरभाष एवं ई-मेल सहित संलग्न प्रपत्र में भर कर यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

विशेष टिप्पणी:- उर्दू एवं पंजाबी भाषा से संबंधित कार्यों में सहायता के लिये इस विभाग के उर्दू सैल से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

म. शर्मा 13/01/17  
(एन0 के0 शर्मा, आईएएस)

सचिव (भाषा)

दिनांक: 17/01/17

सं.फा. 07(02)/2015-16-क0सं0भा/1888-91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।

म. शर्मा 13/01/17  
(एन0 के0 शर्मा, आईएएस)  
सचिव (भाषा)

